

बच्चे और 65 वर्ष से कम की आयु वाले बालिग व्यक्ति

NJ फैमिलीकेयर न्यू जर्सी के निवासियों के लिए सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा है। यह मुफ्त या कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल प्रदान करता है। NJ फैमिलीकेयर कार्यक्रम में CHIP, मेडिकेड और मेडिकेड विस्तार के लोग शामिल होते हैं।

क्या शामिल है?

NJ फैमिलीकेयर राज्य द्वारा अनुबन्धित स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करता है। NJ फैमिलीकेयर में स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल की अधिकतर जरूरतें कवर होती हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- डॉक्टर की विजिट्स
- एक्स-रे
- चश्मे
- ऑटिज़म सेवाएं
- नुस्खे यानि प्रिस्क्रिप्शंस
- अस्पताल में भर्ती
- मानसिक स्वास्थ्य सेवायें
- कम्यूनिटी डुला सेवाएं
- प्रयोगशाला सम्बन्धी जाँच
- दंत चिकित्सा
- विशेषज्ञ डॉक्टर की विजिट्स
- व्यक्तिगत देखभाल की जरूरतों में मदद

कौन योग्य है:

किसी भी उम्र के योग्य न्यू जर्सी निवासी NJ फैमिलीकेयर के लिए पात्र हो सकते हैं। इसमें बच्चे, माता-पिता, केयरटेकर रिश्तेदार, और बिना आश्रित बच्चों वाले बालिग लोग शामिल हैं। पात्रता आवेदक के नवीनतम संघीय टैक्स विवरणी पर रिपोर्ट की गयी आय और परिवार के आकार पर आधारित है। हालाँकि, NJ फैमिलीकेयर जानकारी का सत्यापन करने के लिये अन्य स्रोतों, जैसे कि वेतन के स्टब्स का उपयोग कर सकता है। बच्चों के लिये आय की पात्रता बालिग लोगों के लिये आय की पात्रता से अधिक है। (चार्ट देखें)

इसके लिये क्या कीमत चुकानी होती है?

बहुत से लोगों को NJ फैमिलीकेयर के लिए कोई भी दाम नहीं चुकाना होगा। बच्चों के साथ उच्च आय वाले परिवारों के लिए सह-भुगतान हेतु एक स्लाइडिंग स्केल वाला पैमाना है।

क्या कोई प्रतिबन्ध हैं?

पूर्व-मौजूदा स्थितियाँ पात्रता को प्रभावित नहीं करती हैं।

बालिग लोगों को योग्य होने के लिए, उनके पास कम से कम पाँच वर्षों से वैध स्थायी निवासी का दर्जा होना चाहिये। बच्चे और गर्भवती महिलाएँ, यदि वे वैध वासी हैं, तो इसके पात्र हो सकते हैं, चाहे अमेरिका में उनके प्रवेश की तारीख कोई भी हो। बिना दस्तावेज़ वाले निवासियों के लिए, उनके बच्चे इसके पात्र हो सकते हैं अगर उनके पास योग्य इमिग्रेशन स्टेटस है या उनका जन्म अमेरिका में हुआ है।

और अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें?

यह पता करने के लिए कि क्या आप योग्य हैं, या और अधिक जानकारी के लिए, फोन करें या हमारी वेबसाइट देखें।

1-800-701-0710 (TTY: 711)

(बहुभाषी ऑपरटर्स उपलब्ध)

ऑनलाइन आवेदन करें!

www.njfamilycare.org

NJ FamilyCare, लागू संघीय नागरिक अधिकार कानूनों का अनुपालन करता है और जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, उम्र या विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। यदि आप हिन्दी बोलते हैं तो, आपको भाषा सहायता सेवायें नि: शुल्क उपलब्ध हैं। 1-800-701-0710 (TTY: 711) पर फोन करें।